[2019] 1 उम. नि. प. 210

एस. के. राजू उर्फ अब्दुल हक उर्फ जग्गा

बनाम

पश्चिमी बंगाल राज्य

5 सितम्बर, 2018

मुख्य न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति (डा.) डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 42 और 43 – अभियुक्त-अपीलार्थी को विनिषिद्ध पदार्थ चरस के साथ सड़क पर गिरफ्तार किया जाना – तलाशी और अभिग्रहण – धारा 42 के उपबंधों का अनुपालन न करने का अभिवाक् – धारा 42 की प्रयोज्यता – अधिनियम की धारा 42 वहां लागू होती है जहां अधिनियम के अधीन अपराध किसी भवन, प्रवहण या परिवेष्टित स्थान में किया गया हो और जहां अभियुक्त की तलाशी और गिरफ्तारी धारा 43 के अंतर्गत आने वाले लोक स्थान "सड़क" पर की गई हो, वहां धारा 42 लागू नहीं होगी ।

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 – धारा 50(1) – अभियुक्त-अपीलार्थी के शरीर और उसके थैले की तलाशी – थैले से चरस बरामद होना – धारा 50 का अनुपालन – जहां अभियुक्त के सामान के साथ-साथ उसके शरीर की भी तलाशी ली जाती वहां धारा 50 की अपेक्षाओं का अनुपालन करना आज्ञापक होगा और यदि अभियुक्त-अपीलार्थी की तलाशी लेने से पूर्व उसे किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तलाशी दिए जाने के उसके विधिक अधिकार के बारे में सूचित कर दिया गया हो और उसके द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार तलाशी लेने पर चरस बरामद हुई हो, तो उसकी दोषसिद्धि उचित होगी ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि स्वापक ओषधि निवारण प्रकोष्ठ के उप-निरीक्षक (अभि. सा. 2) को जानकारी प्राप्त हुई कि मादक पदार्थों का एक व्यवहारी स्वापक ओषधियों की आपूर्ति करने के लिए अपराह्न में तिल्जला फाल्गुनी क्लब, 138बी/1, पिकनिक गार्डन रोड निकट तिल्जला पुलिस थाना के आसपास होगा । अभि. सा. 2 ने छापा मारने के लिए

सहायक पुलिस आयुक्त, स्वापक ओषधि निवारण विभाग, डीडी से अनुज्ञा मांगी । वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उसी दिन अनुज्ञा प्रदान की गई और अभि. सा. 2 और अन्य से मिलकर बना छापामार दल लगभग 12.50 बजे अपराह्न में घटनास्थल पर पहुंचा । लगभग 1.40 बजे अपराह्न में जानकारी देने वाले ने अपीलार्थी के बारे में संकेत किया, जो पिकनिक गार्डन रोड के किनारे-किनारे आ रहा था । छापामार दल द्वारा फाल्गुनी क्लब के सामने अपीलार्थी को रोका गया और तुरंत निरुद्ध कर लिया गया । अपीलार्थी को उसके निरोध में लेने के कारणों के बारे में सूचित किया गया और छापामार दल ने उसे अपने परिचय प्रकट किए । तत्पश्चात्, अपीलार्थी ने भी छापामार दल को अपना परिचय प्रकट किया । अपीलार्थी को या तो किसी मजिस्ट्रेट या किसी राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी दिए जाने के उसके विधिक अधिकार के बारे में सूचित किया गया । अपीलार्थी ने किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा तलाशी लिए जाने का विकल्प चुना । राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में अभियुक्त की तलाशी लेने पर अभि. सा. 2 ने पोलिथीन के उस एक काले पैकेट से, जो एक बिस्कुट रंग के जूट के थैले के अंदर था और जिसे अपीलार्थी अपने दांए हाथ में लिए हुआ था, उन्नीस "गहरे भूरे/कालिमायुक्त आयताकार के टूटे हुए पत्तर" बरामद किए । अभि. सा. 2 द्वारा एक परीक्षण किट की सहायता से घटनास्थल पर ही उन पत्तरों का परीक्षण किया । वह पदार्थ चरस पाया गया । एक तराजू का उपयोग करके पदार्थ का वजन भी किया गया । अपीलार्थी के कब्जे में 1.5 किलोग्राम चरस पाया गया । अपीलार्थी की पतलून से 2,400/- रुपए की नकदी बरामद की गई । अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी को स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ग) के अधीन दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । अपील में उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय को कायम रखा गया । अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की और यह दलील दी कि अधिनियम की धारा 42 और 50 का अनुपालन नहीं किया गया था । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकता है कि वर्तमान मामले के तथ्यों को धारा 42 लागू होती है । धारा 42(1) के अधीन सशक्त अधिकारी के लिए केवल तब उसके द्वारा प्राप्त की गई जानकारी को लेखबद्ध करना आबद्धकर है, जब अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध किसी भवन, प्रवहण

या परिवेष्टित स्थान में कारित किया गया है या जब कोई दस्तावेज या वस्तु किसी भवन, प्रवहण या परिवेष्टित स्थान में छिपाई गई है । धारा 42 का अनुपालन, जिसमें सशक्त अधिकारी द्वारा प्राप्त की गई जानकारी का अभिलिखित करना भी सम्मिलित है, तब आज्ञापक नहीं है, जब अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध किसी भवन, प्रवहण या परिवेष्टित स्थान में कारित न किया गया हो । धारा 43 उन स्थितियों में लागू होती है जहां अभिग्रहण और गिरफ्तारी किसी लोक स्थान में किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत कोई ऐसा लोक प्रवहण, होटल, दुकान या अन्य स्थान है, जो जनता द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए आशयित है या जिस तक जनता की पहुंच हो सकती है । अपीलार्थी पिकनिक गार्डन रोड के किनारे-किनारे जा रहा था । उसे छापामार दल द्वारा फाल्गुनी क्लब के सामने रोका गया और तुरंत निरुद्ध किया गया, जो कि कोई भवन, प्रवहण या परिवेष्टित स्थान नहीं था । घटनास्थल जनता की पहुंच वाला था और धारा 43 के स्पष्टीकरण में दिए गए "लोक पहुंच" वाक्यांश की परिधि के अंतर्गत आता है । धारा 42 लागू नहीं होती है । (पैरा 6, 7 और 8)

अपीलार्थी को, जैसा कि प्रदर्श-3 से स्पष्ट होता है, एक प्रथम विकल्प दिया गया था । अभि. सा. 2 ने उसे सूचित किया कि उसे किसी मजिस्ट्रेट या किसी राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी दिए जाने का विधिक अधिकार है । फिर अपीलार्थी को यह इंगित करते हुए अपना विकल्प देने के लिए कहा गया कि वह किसी मजिस्ट्रेट को अपनी तलाशी देना चाहता है या किसी राजपत्रित अधिकारी को । अपीलार्थी ने यह इंगित किया कि वह चाहता है कि तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में ली जाए । जब अभि. सा. 4 वहां आया, तो निरुद्ध व्यक्ति को उसका एक राजपत्रित अधिकारी के रूप में परिचय कराया गया । जैसा कि प्रदर्श-4 से स्पष्ट होता है, फिर अभि. सा. 4 ने अपीलार्थी को एक दूसरा विकल्प दिया । उसने उससे पुनः पूछा कि वह राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी देना चाहता है या किसी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में । अपीलार्थी ने राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी दिए जाने की अपनी इच्छा दोहराई । अपीलार्थी की तलाशी आरंभ होने से पूर्व राजपत्रित अधिकारी ने अपीलार्थी से पूछा कि क्या अभि. सा. 2 द्वारा उसकी अपनी तलाशी लेने से पूर्व वह अभि. सा. 2 की तलाशी लेना चाहता है । अपीलार्थी अभि. सा. 2 को अपनी तलाशी देने से पूर्व अभि. सा. 2 की तलाशी लेने के लिए सहमत हुआ । अपीलार्थी द्वारा अभि. सा. 2 की

तलाशी लेने पर केवल उसका व्यक्तिगत सामान पाया गया । राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में अपीलार्थी की तलाशी लेने पर अपीलार्थी से बिस्कुट रंग का एक जूट का थैला बरामद किया गया और अपीलार्थी की पतलून की बाईं जेब में सौ-सौ रुपए के 24 नोट पाए गए । जब थैला खोला गया, तो एक काले पोलिथीन के पैकेट में रखे हुए काले/गहरे भूरे रंग के उन्नीस आयताकार टूटे हुए पत्तर बरामद किए गए जिनका वजन 1.5 किलोग्राम था । इन पत्तरों का परीक्षण किया गया और ये चरस पाए गए । अभि. सा. 2 ने अपीलार्थी के थैले तथा अपीलार्थी की पतलून की तलाशी ली थी । इसलिए, अभि. सा. 2 द्वारा न केवल उस थैले की तलाशी ली गई जो अपीलार्थी लिए हुए था, अपितु अपीलार्थी के शरीर की भी तलाशी ली गई थी । चूंकि अपीलार्थी के शरीर की तलाशी भी अंतर्वलित थी, इसलिए इस मामले में धारा 50 लागू होगी । तद्नुसार, अभि. सा. 2 को धारा 50(1) की अपेक्षाओं का पालन करना चाहिए था । ज्यों ही किसी व्यक्ति के शरीर की तलाशी ली जाती है, धारा 50 के आज्ञापक पालन की अपेक्षा इस बात को विचार में लाए बिना लागू होती है कि निरुद्ध व्यक्ति के शरीर से विनिषिद्ध पदार्थ बरामद हुआ है या नहीं । इसलिए, अभि. सा. 2 के लिए अपीलार्थी की तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लिए जाने के उसके विधिक अधिकार के बारे में सूचित करना अत्यावश्यक था । प्रदर्श-3 से यह दृष्टिगोचर किया जा सकता है कि अपीलार्थी को किसी मज़िस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी दिए जाने के उसके विधिक अधिकार के बारे में सूचित किया गया था । अपीलार्थी ने पश्चात्वर्ती अनुकल्प का विकल्प चुना था । प्रदर्श-4 घटनास्थल पर अभि. सा. 4 के पहुंचने के पश्चात् की घटनाओं का अभिलेख है । अभि. सा. 4 के पहुंचने के पश्चात् उसके द्वारा अपीलार्थी से पुनः एक बार पूछा गया था कि वह राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी देना चाहता है या किसी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में । यह द्वितीय विकल्प था जो उसे दिया गया था । जब अपीलार्थी ने किसी राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी दिए जाने की अपनी इच्छा दोहराई तो अभि. सा. 4 ने अपीलार्थी से पूछा कि अभि. सा. 2 द्वारा उसकी अपनी तलाशी लिए जाने से पूर्व क्या वह अभि. सा. 2 की तलाशी लेना चाहता है । अपीलार्थी ने अभि. सा. 2 की तलाशी लेने की सहमति दी । अपीलार्थी द्वारा अभि. सा. 2 का केवल व्यक्तिगत सामान पाया गया । केवल इसके पश्चात् अपीलार्थी की तलाशी ली गई थी

और चरस बरामद की गई थी । अपीलार्थी की तलाशी लेने से पूर्व, अभि. सा. 2 और 4 दोनों ने अलग-अलग अवसरों पर अपीलार्थी को या तो किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तलाशी दिए जाने के उसके विधिक अधिकार के बारे में बताया था । अभि. सा. 2 और अभि. सा. 4 दोनों के द्वारा दिए गए विकल्प असंदिग्ध थे । केवल इस कारण कि अभि. सा. 2 द्वारा अपीलार्थी को अभि. सा. 2 की तलाशी लेने का विकल्प दिया गया था, तलाशी दूषित नहीं हो जाती है । प्रस्तुत मामले में, अभि. सा. 2 द्वारा अपीलार्थी की तलाशी लेने से पूर्व अपीलार्थी द्वारा अभि. सा. 2 की तलाशी लेने के दिए गए विकल्प से वह प्रक्रिया दूषित नहीं हो जाती है, जिसमें अपीलार्थी की तलाशी ली गई थी । अपीलार्थी की तलाशी, वस्तुतः, अभि. सा. 4 एक राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में, अपीलार्थी द्वारा अभि. सा. 2 और अभि. सा. 4 दोनों को स्वेच्छा से दी गई संसूचना के अनुरूप की गई थी । इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा 50 का पालन किया गया था । उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय इस अपील में कोई गुणागुणा नहीं पाता है । (पैरा 11 और 12)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2016]	(2016) 11 एस. सी. सी. 687 : **राजस्थान राज्य** बनाम **जगराज सिंह** ;	3,9
[2014]	(2014) 5 एस. सी. सी. 345 : **राजस्थान राज्य** बनाम **परमानंद** ;	4,10,11
[2012]	(2012) 5 एस. सी. सी. 226 : **मायला वेंकटश्वरलु** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** ;	4,10
[2011]	(2011) 1 एस. सी. सी. 609 : **विजय सिंह चंदूभा जडेजा** बनाम **गुजरात राज्य** ;	10,11
[2008]	(2008) 2 एस. सी. सी. 370 : **राजस्व निदेशालय** बनाम **मोहम्मद निसार होलिया** ;	3,9
[2007]	(2007) 1 एस. सी. सी. 450 : **दलीप** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	10

[2005] (2005) 4 एस. सी. सी. 350 :
हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **पवन कुमार** ; 10

[2004] (2004) 2 एस. सी. सी. 606 :
कृष्णा कंवर (श्रीमती) उर्फ **ठकुराइन** बनाम
राजस्थान राज्य ; 6

[2002] (2002) 8 एस. सी. सी. 7 :
नारायणस्वामी रविशंकर बनाम
सहायक निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय ; 6

[2002] (2002) 2 एस. सी. सी. 513 :
अब्दुल रशीद इब्राहिम मंसूरी बनाम **गुजरात राज्य** ; 3,9

[1999] (1999) 6 एस. सी. सी. 172 :
पंजाब राज्य बनाम **बलदेव सिंह** ; 6,10

[1998] (1998) 8 एस. सी. सी. 534 :
नामडी फ्रांसिस नवाजर बनाम **भारत संघ** । 4,12

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2017 की दांडिक अपील सं. 459.

2014 की दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 590 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के तारीख 19 फरवरी, 2016 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध संविधान, 1950 के अनुच्छेद 136 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री अनिल कौशिक (सुश्री) अरुणिमा द्विवेदी, राजिन्द्र सिंह, अभिषेक मिश्रा और आकाश भारद्वाज

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री सुहान मुखर्जी, (सुश्री) आस्था शर्मा, हर्ष गुरसासनी, अभिषेक मनचंदा और मैसर्स पीएलआर चैम्बर्स एंड कं.

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति (डा.) डी. वाई. चंद्रचूड़ ने दिया ।

न्या. (डा.) चंद्रचूड़ – वर्तमान अपील, विशेष इजाजत लेकर, कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ के तारीख 19 फरवरी, 2016 के निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है । उच्च न्यायालय ने अपर सेशन न्यायाधीश और स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे इसमें आगे "अधिनियम" कहा गया है) के अधीन स्थापित विशेष

न्यायालय द्वारा की गई अपीलार्थी की दोषसिद्धि को कायम रखा है । अपर सेशन न्यायाधीश ने तारीख 15 फरवरी, 2014 को अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ग) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया था । अपीलार्थी को 14 वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश दिया गया था और 1,40,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने का निदेश दिया गया था ।

2. इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं । तारीख 15 नवम्बर, 2011 को उप-निरीक्षक प्रशांत कुमार दास, स्वापक ओषधि प्रकोष्ठ, डीडी (अभि. सा. 2) को यह जानकारी प्राप्त हुई कि मादक पदार्थों का एक व्यवहारी स्वापक ओषधियों की आपूर्ति करने के लिए अपराह्न में तिल्जला फाल्गुनी क्लब, 138बी/1, पिकनिक गार्डन रोड, निकट तिल्जला पुलिस थाना के आसपास होगा । अभि. सा. 2 ने छापा (प्रदर्श-2) मारने के लिए सहायक पुलिस आयुक्त, स्वापक ओषधि निवारण विभाग, डीडी से अनुज्ञा मांगी । वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उसी दिन अनुज्ञा प्रदान की गई और अभि. सा. 2 और अन्य से मिलकर बना छापामार दल लगभग 12.50 बजे अपराह्न में घटनास्थल पर पहुंचा । लगभग 1.40 बजे अपराह्न में जानकारी देने वाले ने अपीलार्थी के बारे में संकेत किया, जो पिकनिक गार्डन रोड के किनारे-किनारे आ रहा था । छापामार दल द्वारा फाल्गुनी क्लब के सामने अपीलार्थी को रोका गया और तुरंत निरुद्ध कर लिया गया । अपीलार्थी को उसके निरोध में लेने के कारणों के बारे में सूचित किया गया और छापामार दल ने उसे अपने परिचय प्रकट किए । तत्पश्चात्, अपीलार्थी ने भी छापामार दल को अपना परिचय प्रकट किया । अभि. सा. 5 दो स्वतंत्र साक्षियों में से एक था जो इस तलाशी का साक्षी होने के लिए सहमत हुआ । अपीलार्थी को या तो किसी मजिस्ट्रेट या किसी राजपत्रित अधिकारी (प्रदर्श-3) की मौजूदगी में तलाशी दिए जाने के उसके विधिक अधिकार के बारे में सूचित किया गया । अपीलार्थी ने किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा तलाशी लिए जाने का विकल्प चुना । एक राजपत्रित अधिकारी, निरीक्षक जोयसुरजा मुखर्जी (अभि. सा. 4) लगभग 3.20 बजे अपराह्न में घटनास्थल पर आया । उसने अपीलार्थी को एक "दूसरा विकल्प" दिया । अभि. सा. 4 द्वारा अपीलार्थी से पूछा गया कि क्या वह किसी राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी देना चाहता है या किसी मजिस्ट्रेट (प्रदर्श-4) की मौजूदगी में । अपीलार्थी ने, पुनः, एक बार किसी राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी दिए जाने की सहमति दी । अभि. सा. 4 ने फिर अपीलार्थी से पूछा कि क्या वह अभि. सा. 2 को अपनी तलाशी देने से पूर्व

वह अभि. सा. 2 की तलाशी लेना चाहता है । अपीलार्थी ने अभि. सा. 2 द्वारा उसकी तलाशी लेने से पूर्व अभि. सा. 2 की तलाशी लेने के लिए सहमति दी । अभि. सा. 2 के शरीर से कोई स्वापक पदार्थ बरामद नहीं हुआ । अभि. सा. 2 ने पोलिथीन के उस एक काले पैकेट से, जो एक बिस्कुट रंग के जूट के थैले के अंदर था और जिसे अपीलार्थी अपने दांए हाथ में लिए हुआ था, उन्नीस "गहरे भूरे/कालिमायुक्त आयताकार के टूटे हुए पत्तर" बरामद किए । अभि. सा. 2 द्वारा एक परीक्षण किट की सहायता से घटनास्थल पर ही उन पत्तरों का परीक्षण किया । वह पदार्थ चरस पाया गया । एक तराजू का उपयोग करके पदार्थ का वजन भी किया गया । अपीलार्थी के कब्जे में 1.5 किलोग्राम चरस पाया गया । अपीलार्थी की पतलून से 2,400/- रुपए की नकदी बरामद की गई ।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क दिया कि धारा 42 का अनुपालन नहीं किया गया था । अभि. सा. 2 को अपीलार्थी के पहुंचने के बारे में जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् उसने सहायक पुलिस आयुक्त, मादक पदार्थ निवारण विभाग से अनुज्ञा की ईप्सा की । सहायक आयुक्त से अनुज्ञा का पत्र प्राप्त होने के उपरांत अभि. सा. 2 घटनास्थल के लिए रवाना हुआ । अभि. सा. 2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि वह धारा 42 का अनुपालन करने की आवश्यकता की गंभीरता से अनभिज्ञ था । तथापि, जानकारी के आधार पर कार्य करने के लिए अनुज्ञा की ईप्सा करते हुए एक पत्र के अलावा, जो एक वरिष्ठ अधिकारी को संबोधित था, उसने इस जानकारी की कहीं भी (यह तर्क दिया गया) डायरी में प्रविष्टि नहीं की । विद्वान् काउंसेल ने यह आग्रह किया कि अभि. सा. 2 ने धारा 42 की आज्ञापक अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप विचारण दूषित हो गया था । उसने अपनी दलील को सुदृढ़ करने के लिए इस न्यायालय के निम्नलिखित विनिश्चयों का अवलंब लिया है – **अब्दुल रशीद इब्राहिम मंसूरी** बनाम **गुजरात राज्य**[1], **राजस्व निदेशालय** बनाम **मोहम्मद निसार होलिया**[2] और **राजस्थान राज्य** बनाम **जगराज सिंह**[3] ।

4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि धारा 50 का भी अनुपालन नहीं किया गया था । विद्वान् काउंसेल के

---

[1] (2002) 2 एस. सी. सी. 513.

[2] (2008) 2 एस. सी. सी. 370.

[3] (2016) 11 एस. सी. सी. 687.

अनुसार, न केवल अपीलार्थी के थैले की तलाशी ली गई थी, अपितु अपीलार्थी के शरीर की भी तलाशी ली गई थी जिसके परिणामस्वरूप उसकी पतलून की बाईं जेब से 2,400/- रुपए की नकद रकम बरामद की गई थी । इसलिए, विद्वान् काउंसेल द्वारा यह तर्क दिया गया कि यद्यपि धारा 50 का आज्ञापक रूप से अनुपालन किया जाना अपेक्षित था, किन्तु इसका भंग किया गया था । चूंकि अपीलार्थी को अभि. सा. 2 और अभि. सा. 4 द्वारा मात्र किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी दिए जाने का "विकल्प" दिया गया था और उसे यह सूचित नहीं किया गया था कि किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी दिए जाने का उसका विधिक अधिकार है, इसलिए, यह तर्क दिया गया कि तलाशी दूषित थी । अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने इस पहलू पर इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों का अवलंब लिया है – **मायला वेंकटश्वरलु** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[1], **राजस्थान राज्य** बनाम **परमानंद**[2] और **नामडी फ्रांसिस नवाजर** बनाम **भारत संघ**[3] । दूसरी ओर, प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने उच्च न्यायालय के निर्णय और दोषसिद्धि की वैधता का समर्थन किया । उन्होंने आग्रह किया कि चूंकि तलाशी एक लोक स्थान पर ली गई थी, इसलिए यह मामला एकमात्र रूप से धारा 43 की व्याप्ति के अंतर्गत आता है और धारा 42 का पालन आवश्यक नहीं था । प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह भी आग्रह किया कि जब तलाशी में किसी थैले या व्यक्ति के सामान की तलाशी अंतर्वलित हो, तब धारा 50 लागू नहीं होती है ।

5. अधिनियम की धारा 42 वारंट के या प्राधिकर के बिना प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति के संबंध में है । यह निम्नलिखित है :–

> "42. वारंट या प्राधिकार के बिना प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति –
>
> (1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, स्वापक, सीमा शुल्क, राजस्व आसूचना विभागों या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग का, जिसके अंतर्गत पैरा सैन्य बल या सशस्त्र बल भी हैं, कोई ऐसा अधिकारी (जो किसी चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल की

---

[1] (2012) 5 एस. सी. सी. 226.
[2] (2014) 5 एस. सी. सी. 345.
[3] (1998) 8 एस. सी. सी. 534.

पंक्ति से वरिष्ठ अधिकारी है), जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त सशक्त किया जाता है, अथवा किसी राज्य सरकार के राजस्व, ओषधि नियंत्रण, उत्पाद शुल्क, पुलिस या किसी अन्य विभाग का कोई ऐसा अधिकारी (जो किसी चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल की पंक्ति से वरिष्ठ अधिकारी है), जिसे राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाता है, यदि उसके पास व्यक्तिगत जानकारी या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखी गई इत्तिला से यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी कोई स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है, या कोई ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु, जो ऐसे अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकती है या अवैध रूप से अर्जित कोई ऐसी संपत्ति या कोई ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु, जो अवैध रूप से अर्जित कोई ऐसी संपत्ति धारण करने का साक्ष्य हो सकती है जो इस अधिनियम के अध्याय 5क के अधीन अभिग्रहण या स्थिरीकरण या समपहरण के लिए दायी है, किसी भवन, प्रवहण या परिवेष्टित स्थान में रखी या छिपाई गई है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच –

(क) किसी ऐसे भवन, प्रवहण या स्थान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा ;

(ख) प्रतिरोध की दशा में, किसी द्वार को तोड़ सकेगा और ऐसे प्रवेश करने में किसी अन्य बाधा को हटा सकेगा ;

(ग) ऐसी ओषधि या पदार्थ और उसके विनिर्माण में प्रयुक्त सभी सामग्री तथा किसी अन्य वस्तु और किसी जीवजन्तु या प्रवहण को, जिसकी बाबत उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के अधीन अधिहरणीय है और किसी ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु, को जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकती है या अवैध रूप से अर्जित कोई ऐसी संपत्ति धारण करने का साक्ष्य हो सकती है जो इस अधिनियम के अध्याय 5क के अधीन अभिग्रहण या स्थिरीकरण या समपहरण के लिए दायी है, अभिगृहीत कर सकेगा ; और

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है, निरुद्ध कर सकेगा और उसकी तलाशी तथा यदि वह उचित समझे तो, उसे गिरफ्तार कर सकेगा :

परंतु इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के अधीन विनिर्मित ओषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों के विनिर्माण के लिए दी गई अनुज्ञप्ति के धारक के संबंध में ऐसी शक्ति का प्रयोग ऐसे किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो :

परंतु यह और कि यदि ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि तलाशी वारंट या प्राधिकार, साक्ष्य छिपाने के लिए अवसर दिए बिना या किसी अपराधी को निकल भागने के लिए सुविधा दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो वह सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय ऐसे भवन, प्रवहण या परिवेष्टित स्थान में, अपने विश्वास के आधारों को लेखबद्ध करने के पश्चात् प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा ।

(2) जहां कोई अधिकारी, किसी इत्तिला को उपधारा (1) के अधीन लिखता है या अपने विश्वास के आधारों को उसके परंतुक के अधीन लेखबद्ध करता है, वहां वह उसकी प्रति अपने अव्यवहित वरिष्ठ पदधारी को बहत्तर घंटे के भीतर भेजेगा ।"

अधिनियम की धारा 43 में सशक्त अधिकारी को लोक स्थान में किसी मादक पदार्थ के अभिग्रहण और किसी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं । इस धारा में यह उपबंधित है कि :–

"43. लोक स्थान में अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति – धारा 42 में उल्लिखित किसी विभाग का कोई अधिकारी –

(क) किसी लोक स्थान में या अभिवहन में, किसी ऐसी स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है और ऐसी ओषधि या ऐसे पदार्थ के साथ किसी ऐसे जीवजन्तु या प्रवहण या वस्तु का जो इस अधिनियम के अधीन अधिहरणीय है और किसी ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को जिसके बारे में उसके

पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकती है या ऐसी किसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को, जो अवैध रूप से अर्जित ऐसी किसी संपत्ति को धारण करने का साक्ष्य हो सकती है जो इस अधिनियम के अध्याय 5क के अधीन अभिग्रहण या स्थिरीकरण या समपहरण के लिए दायी है, अभिगृहीत कर सकेगा ;

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है, निरुद्ध कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा तथा यदि ऐसे व्यक्ति के कब्जे में कोई स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ हैं और ऐसा कब्जा उसे विधिविरुद्ध प्रतीत होता है तो उसे और उसके साथ के किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "लोक स्थान" पद के अंतर्गत कोई ऐसा लोक प्रवहण, होटल, दुकान या अन्य स्थान है जो जनता द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए आशयित है या जिस तक जनता की पहुंच हो सकती है ।"

(रेखांकन बल देने के लिए किया गया है)

6. हम अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि वर्तमान मामले के तथ्यों को धारा 42 लागू होती है । **पंजाब राज्य** बनाम **बलदेव सिंह**[1] वाले मामले में मुख्य न्यायमूर्ति डा. ए. एस. आनंद ने इस न्यायालय की संविधान पीठ की ओर से निर्णय सुनाते हुए यह अभिनिर्धारित किया है :–

"धारा 43 और धारा 42 के उपबंधों के बीच तात्विक फर्क यह है कि धारा 42 में तलाशी लेने या अभिग्रहण करने से पूर्व अपराध के कारित करने के विषय में विश्वास करने के कारणों को अभिलिखित करने और प्राप्त हुई इत्तिला को लिखित में लेखबद्ध करने की अपेक्षा की गई है, जबकि धारा 43 में ऐसा कोई उपबंध अंतर्विष्ट नहीं है और इसलिए धारा 43 के अधीन कार्रवाई करते समय सशक्त

[1] (1999) 6 एस. सी. सी. 172.

अधिकारी को वस्तु आदि को अभिगृहीत करने और ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति है जिसके कब्जे में किसी लोक स्थान पर कोई स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ पाया जाता है और जहां उसे ऐसा कब्जा विधिविरुद्ध प्रतीत होता है ।

(रेखांकन बल देने के लिए किया गया है)

नारायणस्वामी रविशंकर बनाम **सहायक निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय**[1] वाले मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रश्न पर विचार किया था कि क्या सशक्त अधिकारी विमानपत्तन पर अपीलार्थी के सूटकेस से हिरोइन की बरामदगी करने और तत्पश्चात् उसे गिरफ्तार करने से पूर्व धारा 42 के आज्ञापक उपबंधों का पालन करने के लिए आबद्ध था या नहीं । इस न्यायालय ने उपरोक्त प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देते हुए यह अभिनिर्धारित किया :–

"प्रस्तुत मामले में, अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों और साक्षियों के साक्ष्य के अनुसार तलाशी और अभिग्रहण विमानपत्तन पर किए गए थे जो कि एक लोक स्थान है । ऐसा होने पर, जो उपबंध लागू होंगे, वे स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 43 के उपबंध हैं । इसके अतिरिक्त, क्योंकि प्रस्तुत मामले में स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42 लागू नहीं होती थी, इसलिए अभिग्रहण एक लोक स्थान से होने के कारण, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42 के उपबंधों के अननुपालन का प्रश्न, यदि कोई है, पूरी तरह असंगत है ।"

कृष्णा कंवर (श्रीमती) उर्फ **ठकुराइन** बनाम **राजस्थान राज्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रश्न पर विचार किया था कि क्या उस पुलिस अधिकारी के लिए अपीलार्थी, जो राजमार्ग पर मोटर साइकिल से यात्रा कर रहा था, से विनिषिद्ध पदार्थ अभिगृहीत करने और गिरफ्तार करने से पूर्व धारा 42 के उपबंधों का अनुपालन करना अपेक्षित था, जिसके पास इसकी पूर्विक जानकारी थी । उपरोक्त प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देते हुए इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया :–

"धारा 42 दो घटकों से मिलकर बनी है । एक का संबंध

---

[1] (2002) 8 एस. सी. सी. 7.

[2] (2004) 2 एस. सी. सी. 606.

जानकारी के आधार से है अर्थात् (i) व्यक्तिगत जानकारी से, और (ii) किसी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी और उसे लिखित में लेखबद्ध करना है । दूसरा घटक यह है कि जानकारी अवश्य ही अध्याय 4 के अधीन दंडनीय अपराध के कारित होने से और/या किसी भवन, प्रवहण या परिविष्टित स्थान में रखे या छिपाए गए ऐसे दस्तावेज/वस्तु के संबंध में होनी चाहिए, जो ऐसे अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकती है । जब तक दोनों घटक विद्यमान न हों, धारा 42 लागू नहीं होगी । उपधारा (2) में यह आदिष्ट है कि, जैसा कि बलदेव सिंह वाले मामले में उल्लेख किया गया है, जहां अधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी जानकारी को लिखित में लेखबद्ध करता है या इस उपधारा के परंतुक के अधीन अपने विश्वास करने के कारणों को अभिलिखित करता है, तो वह उसकी प्रति अपने अव्यवहित वरिष्ठ पदधारी को भेजेगा । अतः, उपधारा (2) केवल वहां प्रवर्तन में आती है, जहां संबंधित अधिकारी तब प्रगणित कृत्य करता है यदि अध्याय 4 के अधीन कोई अपराध किया गया है या किसी भवन, प्रवहण या परिवेष्टित स्थान में दस्तावेज आदि छिपाए गए हैं । अतः, ऐसे कृत्य का कारित करना या दस्तावेज आदि का छिपाया जाना अवश्य किसी भवन, प्रवहण या परिवेष्टित स्थान में होना चाहिए ।"

(रेखांकन बल देने के लिए किया गया है)

7. सशक्त अधिकारी के लिए धारा 42(1) के अधीन केवल तब उसके द्वारा प्राप्त की गई जानकारी को लेखबद्ध करना आबद्धकर है, जब अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध किसी भवन, प्रवहण या परिवेष्टित स्थान में कारित किया गया है या जब कोई दस्तावेज या वस्तु किसी भवन, प्रवहण या परिवेष्टित स्थान में छिपाई गई है । धारा 42 का अनुपालन, जिसमें सशक्त अधिकारी द्वारा प्राप्त की गई जानकारी का अभिलिखित करना भी सम्मिलित है, तब आज्ञापक नहीं है, जब अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध किसी भवन, प्रवहण या परिवेष्टित स्थान में कारित न किया गया हो । धारा 43 उन स्थितियों में लागू होती है जहां अभिग्रहण और गिरफ्तारी किसी लोक स्थान में किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत कोई ऐसा लोक प्रवहण, होटल, दुकान या अन्य स्थान है, जो जनता द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए आशयित है या जिस तक जनता की पहुंच हो सकती है ।

8. अपीलार्थी पिकनिक गार्डन रोड के किनारे-किनारे जा रहा था । उसे छापामार दल द्वारा फाल्गुनी क्लब के सामने रोका गया और तुरंत

निरुद्ध किया गया है, जो कि कोई भवन, प्रवहण या परिवेष्टित स्थान नहीं था । घटनास्थल जनता की पहुंच वाला था और धारा 43 के स्पष्टीकरण में दिए गए "जनता की पहुंच" वाक्यांश की परिधि के अंतर्गत आता है । धारा 42 लागू नहीं होती है ।

9. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा अवलंबित मामले भी हमारे समक्ष तथ्यों के संदर्भ में लागू नहीं होते हैं । **मंसूरी** (उपर्युक्त) वाले मामले में पुलिस कार्मिकों द्वारा एक आटो-रिक्शा ड्राइवर को अवरुद्ध किया गया था । आटो-रिक्शा से चरस के चार टाट के थैले बरामद किए गए थे । पुलिस अधिकारी ने जिसके पास कुछ स्वापक पदार्थ परिवहन करने के बारे में पूर्विक जानकारी थी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी करने से पूर्व न तो जानकारी को लेखबद्ध किया गया था और न ही अपने वरिष्ठ अधिकारी को बताया था । उसने यह दलील दी कि उसके द्वारा की गई कार्रवाई धारा 43 के अधीन थी न कि धारा 42 के अधीन । इस न्यायालय ने राज्य के तर्क को नामंजूर करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 42 का अनुपालन करना अपेक्षित था क्योंकि आटो-रिक्शा एक प्राइवेट यान था न कि धारा 43 में यथा अनुध्यात कोई लोक प्रवहण था । इसी प्रकार, **जगराज** (उपर्युक्त) वाले मामले में एक जीप से विनिषिद्ध पदार्थ बरामद किया गया था जिसे पुलिस कार्मिकों द्वारा पूर्विक जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् एक लोक सड़क पर अवरुद्ध किया गया था । जिस पुलिस अधिकारी को जानकारी प्राप्त हुई थी, उसने इस जानकारी को लिखित में लेखबद्ध न करने की बात स्वीकार की और यह दलील दी कि धारा 43 लागू होगी । इस न्यायालय ने राज्य के तर्क को नामंजूर करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि जिस जीप को अवरुद्ध किया गया था वह एक लोक प्रवहण नहीं था और इसलिए धारा 42(1) का अनुपालन करना आज्ञापक था । **होलिया** (उपर्युक्त) वाले मामले में, प्रत्यर्थी के होटल के कमरे से मेनड्रेक्स की गोलियां बरामद की गई थीं । उस अधिकारी द्वारा, जिसे पहले ही जानकारी प्राप्त हो गई थी, इस जानकारी को लेखबद्ध नहीं किया गया था । राज्य ने यह दावा किया कि धारा 42 का अनुपालन करना अपेक्षित नहीं था क्योंकि होटल एक लोक स्थान था । इस न्यायालय ने राज्य की दलील को नामंजूर करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि होटल एक लोक स्थान था जबकि इसके अंदर होटल का कमरा एक लोक स्थान नहीं है । इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है :–

> "अधिनियम के पठन मात्र से, धारा 43 पर धारा 42 की कठिनाइयां लागू नहीं हो सकती । इसका यह अर्थ है कि प्राधिकारी

का व्यक्तिपरक समाधान होने पर भी, जैसा कि धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित है, इनका केवल इस कारण से पालन किए जाने की आवश्यकता नहीं है कि वह स्थान जिस पर तलाशी ली जानी है, एक लोक स्थान है । यदि धारा 43 को धारा 42 के अपवाद के रूप में मान लिया जाए, तो इसका कड़ाई से पालन किया जाना अपेक्षित है । ..... यह दलील देना भी संभव है कि जहां किसी ऐसे लोक स्थान पर तलाशी लिया जाना अपेक्षित है जिसकी जनता तक पहुंच है, वहां धारा 42 लागू नहीं होगी, किंतु दलील देने के लिए एक अन्य बात यह हो सकती है कि तलाशी पूर्विक जानकारी के आधार पर ली जा रही हो और वहां जानकारी को लेखबद्ध करने, वरिष्ठ अधिकारी को इसके बारे में सूचित करने और उसकी अनुज्ञा प्राप्त करने और इसके लिए कारणों को भी अभिलिखित करने से संबंधित अनुपालन के लिए पर्याप्त समय होगा और साथ ही साथ यह भी तथ्य हो सकता है कि जिस स्थान की तलाशी ली जानी है उस तक जनता की पहुंच नहीं है, यद्यपि वह एक लोक स्थान पर अवस्थित है, उदाहरण के लिए, होटल का कमरा, जबकि होटल एक लोक स्थान है, किंतु किसी अतिथि द्वारा अधिभोग में लिया गया कोई कमरा लोक स्थान नहीं हो सकता है । वह अपने एकांतता के अधिकार का हकदार है । कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि होटल का स्टाफ भी उसकी अनुज्ञा के बिना उसके कमरे में नहीं जा सकता है । अतिथि, कमरे के अनुरक्षण और/या साफ-सफाई से संबंधित सामान्य कार्यकलापों के सिवाय अपनी एकांतता बनाए रखने का हकदार है ।"

(रेखांकन बल देने के लिए किया गया है)

अतः, प्रथम दलील में कोई सार नहीं है ।

10. अधिनियम की धारा 50 उन शर्तों के संबंध में है, जिनके अधीन व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी । इस धारा में यह उपबंधित है :–

"50. वे शर्तें जिनके अधीन व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी –

(1) जब धारा 42 के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, धारा 41, धारा 42 या धारा 43 के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला है तब वह, ऐसे व्यक्ति की यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करे तो, बिना अनावश्यक विलंब के धारा 42 में उल्लिखित किसी विभाग के निकटतम राजपत्रित अधिकारी या

निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा ।

(2) यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति को तब तक निरुद्ध रख सकेगा जब तक वह उसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं ले जा सकता ।

(3) यदि ऐसा राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट, जिसके समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति लाया जाता है, तलाशी के लिए कोई उचित आधार नहीं पाता है तो वह ऐसे व्यक्ति को तत्काल उन्मोचित कर देगा किन्तु अन्यथा यह निदेश देगा कि तलाशी ली जाए ।

(4) किसी स्त्री की तलाशी, स्त्री से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं ली जाएगी ।

(5) जब धारा 42 के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति को जिसकी तलाशी ली जानी है, उसके कब्जे में कि किसी स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ या वस्तु या दस्तावेज को उस व्यक्ति से जिसकी तलाशी ली जानी है, अलग किए बिना निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाना संभव नहीं है, तो वह ऐसे व्यक्ति को निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाने की बजाय उस व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 में उपबंधित है ।

(6) उपधारा (5) के अधीन तलाशी लिए जाने के पश्चात् उक्त अधिकारी ऐसे विश्वास के कारणों को लेखबद्ध करेगा, जिसकी वजह से ऐसी तलाशी की आवश्यकता पड़ी थी और उसकी एक प्रति अपने अव्यवहित वरिष्ठ पदधारी को बहत्तर घंटे के भीतर भेजेगा ।"

धारा 50(1) के अनुसार, सशक्त अधिकारी द्वारा संदिग्ध व्यक्ति को किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तलाशी दिए जाने के उसके विधिक अधिकार के बारे में, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करे, आवश्यक रूप से सूचित किया जाना चाहिए । **विजय सिंह चंदूभा जडेजा** बनाम **गुजरात राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ

---

[1] (2011) 1 एस. सी. सी. 609.

ने धारा 50 का इस प्रकार निर्वचन किया था :–

> "धारा 50 का आदेश सुव्यक्त और स्पष्ट है, अर्थात् यदि तलाशी लिए जाने के लिए आशयित व्यक्ति प्राधिकृत अधिकारी को उसे निकटवर्ती राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाने की इच्छा व्यक्त करता है, तो तब तक उसकी तलाशी नहीं ली जा सकती है, जब तक, यथास्थिति, राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी तलाशी लेने का निदेश नहीं देता है । ..... पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह दृढ़ राय है कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50(1) के अधीन जिस उद्देश्य के साथ संदिग्ध व्यक्ति को जो अधिकार एक रक्षोपाय के रूप में, प्रदत्त किया गया, अर्थात् शक्ति के दुरुपयोग को रोकने, निर्दोष व्यक्तियों को अपहानि से निवारित करने और विधि का प्रवर्तन करने वाले अभिकरणों द्वारा मिथ्या मामले गढ़ने या थोपने के अभिकथनों में कमी लाने के लिए, सशक्त अधिकारी को तलाशी लिए जाने के लिए आशयित व्यक्ति को किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी दिए जाने के उसके अधिकार के बारे में बताना अत्यावश्यक होगा । हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि जहां तक स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी की इस बाध्यता का संबंध है, यह आज्ञापक है और इसका कड़ाई से पालन करने में असफल रहने पर अवैध वस्तु की बरामदगी संदिग्ध हो जाएगी और दोषसिद्धि तब दूषित हो जाएगी, यदि दोषसिद्धि ऐसी तलाशी के दौरान अभियुक्त के शरीर से की गई अवैध वस्तु की बरामदगी के एकमात्र आधार पर अभिलिखित की गई है । तत्पश्चात्, संदिग्ध व्यक्ति उक्त उपबंध के अधीन उसे दिए गए अधिकार का प्रयोग करने का चयन कर सकता है और नहीं भी कर सकता है ....। हमारी यह राय है कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी अधिनियम की धारा 50 की अपेक्षा के 'सारभूत पालन' की जो धारणा **जोसफ फर्नांडीज** (उपर्युक्त) और **प्रभा शंकर** (उपर्युक्त) वाले मामलों में पुरःस्थापित की गई थी और उक्त धारा के आदेश का जो अर्थ लगाया गया था, वह न तो धारा 50 की उपधारा (1) से जनित है और न ही यह **बलदेव सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में अधिकथित युक्ति के अनुरूप है ।"

विजय सिंह (उपर्युक्त) वाले मामले से प्रकट होने वाला सिद्धांत यह है कि धारा 50 की अपेक्षा के "सारभूत पालन" की धारणा न तो **बलदेव सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में अधिकथित विधि के अनुसार है और न ही इसकी भाषा से यह अर्थान्वयन किया जा सकता है । **वेंकटश्वरलू** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के विनिश्चय के प्रति भी निर्देश किया जा सकता है । अतः, सशक्त अधिकारी द्वारा धारा 50(1) का कड़ाईपूर्वक पालन किया जाना आज्ञापक है । तथापि, धारा 50 केवल किसी व्यक्ति की तलाशी के मामले में लागू होती है । **बलदेव सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि "धारा 50 के पठन मात्र से यह स्पष्ट है कि यह धारा किसी परिसर आदि से भिन्न केवल किसी व्यक्ति की तलाशी के मामले में लागू होगी ।" **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **पवन कुमार**[1] वाले मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि ऐसी वस्तु की तलाशी पर धारा 50 लागू नहीं होगी, जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने हाथ या अपने कंधे या सिर आदि पर ले जाई जा रही हो । यह अभिनिर्धारित किया गया था :–

> "सामान्य बोलचाल की भाषा में यह कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट वस्तु को, उस रीति को विनिर्दिष्ट करते हुए जिसमें यह वस्तु ले जा रही थी, जैसे हाथ, कंधे, पीठ या सिर आदि पर ले जा रहा है । इसलिए, इन वस्तुओं को अधिनियम की धारा 50 में आने वाले 'व्यक्ति' शब्द की व्याप्ति के भीतर सम्मिलित करना संभव नहीं है ।..... **बलदेव सिंह** वाले मामले के विनिश्चय के पश्चात्, इस न्यायालय ने सतत रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा 50 केवल किसी व्यक्ति की तलाशी पर लागू होगी, न कि उसके द्वारा ले जाए जा रहे किसी थैले, वस्तु या आधान पर लागू होगी ।"

परमानंद (उपर्युक्त) वाले मामले में प्रत्यर्थी के शरीर की तलाशी लेने पर कोई पदार्थ नहीं पाया गया था । उसके पश्चात्, प्रत्यर्थी के थैले से अफीम बरामद की गई थी । इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रश्न पर विचार किया था कि क्या धारा 50(1) का पालन करना अपेक्षित था । इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि सशक्त अधिकारी के लिए धारा 50(1) की अपेक्षाओं का पालन करना आवश्यक था क्योंकि

---

[1] (2005) 4 एस. सी. सी. 350.

प्रत्यर्थी के शरीर की भी तलाशी ली गई थी । **दलीप** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के विनिश्चय के प्रति भी निर्देश किया जा सकता है । यह अभिनिर्धारित किया गया था :–

> "इस प्रकार, यदि किसी व्यक्ति के शरीर की तलाशी लिए बिना केवल उसके द्वारा लिए हुए थैले की तलाशी ली जाती है, तो स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 लागू नहीं होगी । किंतु, यदि उसके द्वारा लिए हुए थैले की तलाशी ली जाती है और उसके शरीर की भी तलाशी ली जाती है, तो स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 लागू होगी ।"

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त मामले में, सशक्त अधिकारी ने तलाशी लेने के समय प्रत्यर्थी को यह सूचित किया था कि वह निकटवर्ती मजिस्ट्रेट या निकटवर्ती राजपत्रित अधिकारी या अधीक्षक, जो छापामार दल में ही था, के समक्ष तलाशी दे सकता है । इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी की तलाशी धारा 50(1) की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थी क्योंकि सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी को अधीक्षक के समक्ष तलाशी दिए जाने का विकल्प देकर गलती की थी, जो कि एक स्वतंत्र अधिकारी नहीं था । यह अभिनिर्धारित किया गया था :–

> "हमने यह भी पाया है कि अभि. सा. 10, उप निरीक्षक कुरैशी ने प्रत्यर्थियों को यह सूचित किया था कि वे निकटवर्ती मजिस्ट्रेट या निकटवर्ती राजपत्रित अधिकारी था अभि. सा. 5 जे. एस. नेगी, अधीक्षक, जो छापामार दल का भाग था, के समक्ष तलाशी दे सकते हैं । अभियोजन का यह पक्षकथन है कि प्रत्यर्थियों ने अधिकारियों को यह सूचित किया था कि वे अभि. सा. 10, उप निरीक्षक कुरैशी को अभि. सा. 5 जे. एस. नेगी के समक्ष तलाशी देना चाहते हैं । हमारी राय में, पुनः यह स्वापक ओषधि और मनःप्रभाव पदार्थ अधिनियम की धारा 50(1) का भंग है । अभियुक्त को निकटवर्ती मजिस्ट्रेट या निकटवर्ती राजपत्रित अधिकारी के पास ले जाने, यदि वह ऐसी अपेक्षा करता है, के पीछे का आशय उसे एक स्वतंत्र अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी दिए जाने का विकल्प देना है । इसलिए अभि. सा. 10, उप निरीक्षक कुरैशी द्वारा प्रत्यर्थी को यह कहना अनुचित था कि एक

---

[1] (2007) 1 एस. सी. सी. 450.

> तीसरा अनुकल्प भी उपलब्ध है और वे अभि. सा. 5, जे. एस. नेगी, अधीक्षक के समक्ष तलाशी दे सकते हैं, जो कि छापामार दल का भाग था । अभि. सा. 5, जे. एस. नेगी को एक स्वतंत्र अधिकारी नहीं कहा जा सकता है । हम इस प्रश्न पर अपनी राय अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं कि क्या प्रत्यर्थियों ने स्वेच्छा से यह अभिव्यक्त किया था कि वे अभि. सा. 5, जे. एस. नेगी के समक्ष तलाशी देना चाहते हैं और इससे तलाशी दुषित हुई थी या नहीं । किंतु अभि. सा. 10, उप-निरीक्षक कुरैशी द्वारा प्रत्यर्थियों को तब एक तीसरा विकल्प नहीं दिया जा सकता था जब स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50(1) में इसका उपबंध नहीं किया गया है और जब ऐसे विकल्प से अधिनियम की धारा 50(1) के उपबंध निष्फल होते हों । हमारी राय में, इस आधार पर भी, अभि. सा. 10, उप निरीक्षक कुरैशी द्वारा ली गई तलाशी दूषित हो जाती है ।'

हमारे समक्ष प्रश्न यह उद्‌भूत होता है कि जब चरस केवल अपीलार्थी के थैले से बरामद की गई थी और उसके शरीर पर कोई चरस नहीं पाई गई थी, तब भी क्या धारा 50(1) का पालन किया जाना अपेक्षित था या नहीं । इसके अतिरिक्त, यदि प्रथम प्रश्न का सकारात्मक उत्तर दिया जाता है तो क्या अभि. सा. 2 और अभि. सा. 4 द्वारा धारा 50 की अपेक्षाओं का कड़ाईपूर्वक पालन किया गया था या नहीं ।

11. अपीलार्थी को जैसा कि प्रदर्श-3 से स्पष्ट होता है, एक प्रथम विकल्प दिया गया था । अभि. सा. 2 ने उसे सूचित किया कि उसे किसी मजिस्ट्रेट या किसी राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी दिए जाने का विधिक अधिकार है । फिर अपीलार्थी को यह इंगित करते हुए अपना विकल्प देने के लिए कहा गया कि वह किसी मजिस्ट्रेट को अपनी तलाशी देना चाहता है या किसी राजपत्रित अधिकारी को । अपीलार्थी ने यह इंगित किया कि वह चाहता है कि तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में ली जाए । जब अभि. सा. 4 वहां आया, तो निरुद्ध व्यक्ति को उसका एक राजपत्रित अधिकारी के रूप में परिचय कराया गया । जैसा कि प्रदर्श-4 से स्पष्ट होता है, फिर अभि. सा. 4 ने अपीलार्थी को एक दूसरा विकल्प दिया । उसने उससे पुनः पूछा कि वह राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी देना चाहता है या किसी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में । अपीलार्थी ने राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी दिए जाने की अपनी इच्छा दोहराई । अपीलार्थी की तलाशी आरंभ होने से पूर्व राजपत्रित अधिकारी ने अपीलार्थी से पूछा कि क्या अभि. सा. 2 द्वारा उसकी अपनी

तलाशी लेने से पूर्व वह अभि. सा. 2 की तलाशी लेना चाहता है । अपीलार्थी अभि. सा. 2 को अपनी तलाशी देने से पूर्व अभि. सा. 2 की तलाशी लेने के लिए सहमत हुआ । अपीलार्थी द्वारा अभि. सा. 2 की तलाशी लेने पर केवल उसका व्यक्तिगत सामान पाया गया । राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में अपीलार्थी की तलाशी लेने पर अपीलार्थी से बिस्कुट रंग का एक जूट का थैला बरामद किया गया और अपीलार्थी की पतलून की बाईं जेब में सौ-सौ रुपए के 24 नोट पाए गए । जब थैला खोला गया, तो एक काले पोलिथीन के पैकेट में रखे हुए काले/गहरे भूरे रंग के उन्नीस आयताकार टूटे हुए पत्तर बरामद किए गए जिनका वजन 1.5 किलोग्राम था । इन पत्तरों का परीक्षण किया गया और ये चरस पाए गए ।

अभि. सा. 2 ने अपीलार्थी के थैले तथा अपीलार्थी की पतलून की तलाशी ली थी । इसलिए, अभि. सा. 2 द्वारा न केवल उस थैले की तलाशी ली गई जो अपीलार्थी लिए हुए था, अपितु अपीलार्थी के शरीर की भी तलाशी ली गई थी । चूंकि अपीलार्थी के शरीर की तलाशी भी अंतर्वलित थी, इसलिए इस मामले में धारा 50 लागू होगी । तद्नुसार, अभि. सा. 2 को धारा 50(1) की अपेक्षाओं का पालन करना चाहिए था । ज्यों ही किसी व्यक्ति के शरीर की तलाशी ली जाती है, धारा 50 के आज्ञापक पालन की अपेक्षा इस बात को विचार में लाए बिना लागू होती है कि निरुद्ध व्यक्ति के शरीर से विनिषिद्ध पदार्थ बरामद हुआ है या नहीं । इसलिए, अभि. सा. 2 के लिए अपीलार्थी की तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लिए जाने के उसके विधिक अधिकार के बारे में सूचित करना अत्यावश्यक था । प्रदर्श-3 से यह दृष्टिगोचर किया जा सकता है कि अपीलार्थी को किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी दिए जाने के उसके विधिक अधिकार के बारे में सूचित किया गया था । अपीलार्थी ने पश्चात्वर्ती अनुकल्प का विकल्प चुना था । प्रदर्श-4 घटनास्थल पर अभि. सा. 4 के पहुंचने के पश्चात् की घटनाओं का अभिलेख है । अभि. सा. 4 के पहुंचने के पश्चात् उसके द्वारा अपीलार्थी से पुनः एक बार पूछा गया था कि वह राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी देना चाहता है या किसी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में । यह द्वितीय विकल्प था जो उसे दिया गया था । जब अपीलार्थी ने किसी राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी दिए जाने की अपनी इच्छा दोहराई तो अभि. सा. 4 ने अपीलार्थी से पूछा कि अभि. सा. 2 द्वारा उसकी अपनी तलाशी लिए जाने से पूर्व क्या वह अभि. सा. 2 की तलाशी लेना चाहता है । अपीलार्थी ने अभि. सा. 2 की

तलाशी लेने की सहमति दी । अपीलार्थी द्वारा अभि. सा. 2 का केवल व्यक्तिगत सामान पाया गया । केवल इसके पश्चात् अपीलार्थी की तलाशी ली गई थी और चरस बरामद किया गया था । अपीलार्थी की तलाशी लेने से पूर्व, अभि. सा. 2 और 4 दोनों ने अलग-अलग अवसरों पर अपीलार्थी को या तो किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तलाशी दिए जाने के उसके विधिक अधिकार के बारे में बताया था । अभि. सा. 2 और अभि. सा. 4 दोनों के द्वारा दिए गए विकल्प असंदिग्ध थे । केवल इस कारण कि अभि. सा. 2 द्वारा अपीलार्थी को अभि. सा. 2 की तलाशी लेने का विकल्प दिया गया था, तलाशी दूषित नहीं हो जाती है । **परमानंद** (उपर्युक्त) वाले मामले में सशक्त अधिकारी द्वारा निरुद्ध व्यक्ति को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी लिए जाने के विकल्प के अतिरिक्त एक "तीसरा" अनुकल्प दिया गया था जो कि एक ऐसे अधिकारी द्वारा तलाशी लिए जाने का था, जो छापामार दल का भाग था । इसे धारा 50(1) के आशय के विपरीत पाया गया था । प्रस्तुत मामले में, अभि. सा. 2 द्वारा अपीलार्थी की तलाशी लेने से पूर्व अपीलार्थी द्वारा अभि. सा. 2 की तलाशी लेने के दिए गए विकल्प से वह प्रक्रिया दूषित नहीं हो जाती है, जिसमें अपीलार्थी की तलाशी ली गई थी । अपीलार्थी की तलाशी, वस्तुतः, अभि. सा. 4 एक राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में, अपीलार्थी द्वारा अभि. सा. 2 और अभि. सा. 4 दोनों को स्वेच्छा से दी गई संसूचना के अनुरूप की गई थी । इस मामले में धारा 50(1) की अपेक्षाओं का कड़ाई से पालन किया गया था, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **विजय सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में अनुध्यात किया गया है ।

12. क्योंकि हमने पहले ही यह अभिनिर्धारित किया है कि वर्तमान मामले में धारा 50 लागू होती है, इसलिए हमें इस मामले के तथ्यों पर **नामडी** (उपर्युक्त) वाले मामले के लागू होने के प्रश्न का विनिश्चय करने की आवश्यकता नहीं है । हमने यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा 50 का पालन किया गया था । उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम इस अपील में कोई गुणागुणा नहीं पाते हैं ।

13. तद्नुसार, यह दांडिक अपील खारिज हो जाएगी ।

अपील खारिज की गई ।

जस.